तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29.5.23	पत्रावली महंगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत खिरड़िया मे पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर [illegible] जिन्हे श्रा० प० किये गये। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर श्रा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हुक्मीचन्द रोहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

राजस्थान – सरकार

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर ए एस

मुकदमा संख्या – 206/22 प्रा०पत्र

1– श्रीमती सीता प०० मोहन नातरी निवासी- पीथास तहसील- माण्डल [नगेरा]

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री हनुमान सिहं s/o श्री कन्हैयालाल दरोगा निवासी–मालीखेड़ा (पीथास) त० मांडल (नगेरा)
(संलग्न प्रा पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि 1956

[redacted]

दिनाक– 29.05.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीथास पटवार हल्का पीथास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. प्रष्ठांकित पिछले प्रष्ठ पर अंकित कुल किता 12 रकबा 8.1189 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.12.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

[redacted]ना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पीथास पटवार हल्का पीथास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न प्रष्ठांकित पिछले प्रष्ठ पर अंकित कुल किता 12 रकबा 8.1189 हेक्टेयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक-पीथास को 3300/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजुदगी मे मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023